# निष्क्रिय इच्छामृत्यु

## प्रिलिम्स के लिये:

निष्क्रिय इच्छामृत्यु, राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड, अनुच्छेद 21, लिविंग विल।

## मेन्स के लिये:

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के दिशा-निर्देशों में बड़े बदलाव, भारत में इच्छामृत्यु।

स्रोत: द हिंदू

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बुजुर्ग दंपत्ति की उस याचिका को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने अपने कोमाटोज (गंभीर रूप से अचेत) पुत्र, जो गिरने के कारण 11 वर्षों से बिस्तर पर है, के लिये **"निष्क्रिय इच्छामृत्यु"** (Passive Euthanasia) की मांग की थी।

- इस निर्णय ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी और नैतिक आयामों पर चर्चा को पुनः शुरू कर दिया है।

## मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने रोगी के माता-पिता की याचिका के विरुद्ध निर्णय सुनाते हुए कहा कि यह मामला **निष्क्रिय इच्छामृत्यु के दायरे में नहीं आता** क्योंकि मरीज **किसी भी जीवन रक्षक प्रणाली पर नहीं है** और उसे **फीडिंग ट्यूब के जरिये पोषण प्राप्त हो रहा है।**
- न्यायालय ने कहा कि उसके जीवन को समाप्त करने की अनुमति देना **निष्क्रिय इच्छामृत्यु नहीं** बल्कि **सक्रिय इच्छामृत्यु होगी जो भारत में अवैध है।**

## निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) क्या है?

- **इच्छामृत्यु :**
  - **इच्छामृत्यु,** रोगी की पीड़ा को सीमित करने के लिये उसके जीवन को समाप्त करने की प्रथा है।
- **इच्छामृत्यु के प्रकार:**
  - **सक्रिय इच्छामृत्यु (Active euthanasia):**
    - सक्रिय इच्छामृत्यु तब होती है जब **चिकित्सा पेशेवर या कोई अन्य व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कुछ करता है** जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, जैसे **घातक इंजेक्शन** देना।
  - **निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia):**
    - **निष्क्रिय इच्छामृत्यु चिकित्सा उपचार को रोकने या वापस लेने का कार्य है,** जैसे कि किसी व्यक्ति को मरने की अनुमति देने के उद्देश्य से जीवन समर्थक उपकरणों को बंद कर देना या वापस लेना है।
- **भारत में इच्छामृत्यु:**
  - **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) में एक ऐतिहासिक निर्णय में एक व्यक्ति के सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देते हुए कहा कि एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति निष्क्रिय इच्छामृत्यु का विकल्प चुन सकता है और **चिकित्सा उपचार से इनकार हेतु** लिविंग विल निष्पादित कर सकता है।
    - इसने असाध्य रूप से बीमार रोगियों द्वारा बनाई गई **'लिविंग विल'** के लिये भी दिशा-निर्देश निर्धारित किये, जिन्हें पहले से ही पता होता है कि उनके स्थायी रूप से निश्चेत अवस्था में चले जाने की संभावना है।
    - इससे पहले वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने **अरुणा शानबाग** मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी थी।
  - न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि **"मृत्यु की प्रक्रिया में गरिमा, अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।** किसी व्यक्ति को जीवन के अंत में गरिमा से वंचित करना व्यक्ति को एक सार्थक अस्तित्व से वंचित करना है।"

- **इच्छामृत्यु वाले विभिन्न देश:**
    - **नीदरलैंड, लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम** किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो "असहनीय पीड़ा" का सामना करता है और जिसके स्वास्थ्य में सुधार की कोई संभावना नहीं है, को इच्छामृत्यु एवं सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देते हैं।
    - **स्विट्ज़रलैंड** में इच्छामृत्यु प्रतिबंधित है लेकिन किसी डॉक्टर या चिकित्सीय पेशेवर की उपस्थिति तथा सहायता से मृत्यु प्राप्त करने की अनुमति है।
        - वर्ष 1942 से, स्विट्ज़रलैंड ने सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति दी है, जिसमें व्यक्तिगत पसंद और मरने की प्रक्रिया पर नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कानून के अनुसार व्यक्तियों का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिये और उनका निर्णय स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होना चाहिये।
    - **ऑस्ट्रेलिया** ने भी दोनों प्रकार की इच्छामृत्यु को वैध कर दिया है। यह उन वयस्कों पर लागू होता है जिनमें पूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है तथा वे ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं जिनकी छह या बारह महीनों के भीतर मृत्यु होने की संभावना है।
    - **नीदरलैंड** में इच्छामृत्यु के लिये एक सुस्थापित विधिक ढाँचा है, जिसे वर्ष 2001 के **"अनुरोध पर जीवन की समाप्ति और सहायता प्राप्त आत्महत्या (समीक्षा प्रक्रिया) अधिनियम"** द्वारा विनियमित किया जाता है।

## निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशानिर्देशों में हाल ही में क्या परिवर्तन किये गए?

- वर्ष 2023 में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने **2018 के इच्छामृत्यु दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया,** ताकि गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।
    - वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने **सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी** तथा इस अधिकार को लागू करने के लिये **असाध्य रूप से बीमार रोगियों के लिये दिशानिर्देश निर्धारित किये।**
- **सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों में संशोधन:**
    - **लिविंग विल का सत्यापन**: न्यायालय ने लिविंग विल (एक दस्तावेज़ जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह भविष्य में गंभीर बीमारी की हालत में किस तरह का इलाज कराना चाहता है) पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सत्यापन की आवश्यकता को हटा दिया है। अब, नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन ही पर्याप्त है, जिससे व्यक्तियों के लिये अपने जीवन को समाप्त करने के विकल्प को व्यक्त करने की प्रक्रिया सरल हो गई है।
    - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड के साथ एकीकरण:** पहले, लिविंग विल को ज़िला न्यायालय द्वारा रखा जाता था। संशोधित दिशा-निर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का हिस्सा हों। इससे देश भर के अस्पतालों और डॉक्टरों के लिये सरल पहुँच सुनिश्चित होती है, जिससे समय पर निर्णय लेने में सुविधा होती है।
    - **इच्छामृत्यु से इनकार के लिये अपील प्रक्रिया:** यदि किसी अस्पताल का मेडिकल बोर्ड जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो रोगी/मरीज़ का परिवार संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके बाद न्यायालय मामले का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु एक नया मेडिकल बोर्ड गठित करेगा, ताकि मामले की गहन और न्यायपूर्ण समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।

//

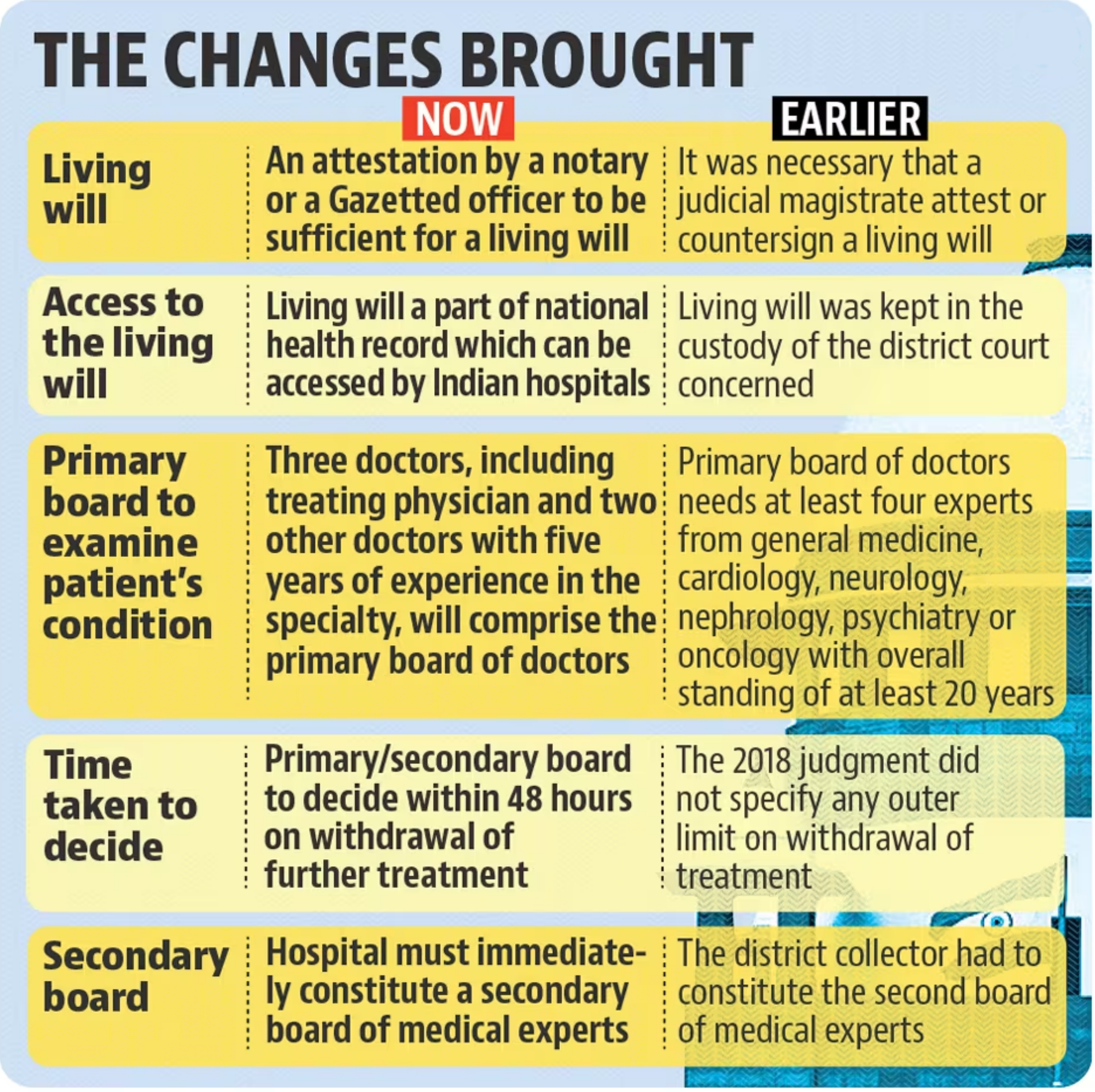

THE CHANGES BROUGHT

| | NOW | EARLIER |
|---|---|---|
| Living will | An attestation by a notary or a Gazetted officer to be sufficient for a living will | It was necessary that a judicial magistrate attest or countersign a living will |
| Access to the living will | Living will a part of national health record which can be accessed by Indian hospitals | Living will was kept in the custody of the district court concerned |
| Primary board to examine patient's condition | Three doctors, including treating physician and two other doctors with five years of experience in the specialty, will comprise the primary board of doctors | Primary board of doctors needs at least four experts from general medicine, cardiology, neurology, nephrology, psychiatry or oncology with overall standing of at least 20 years |
| Time taken to decide | Primary/secondary board to decide within 48 hours on withdrawal of further treatment | The 2018 judgment did not specify any outer limit on withdrawal of treatment |
| Secondary board | Hospital must immediately constitute a secondary board of medical experts | The district collector had to constitute the second board of medical experts |

## इच्छामृत्यु से जुड़े नैतिक पहलू क्या हैं?

- **स्वायत्तता और सूचित सहमति:** इच्छामृत्यु में व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करना शामिल है, जिसका अर्थ है कि लोगों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिये, विशेष रूप से यदि वे मानसिक रूप से सक्षम हैं तो पीड़ा को समाप्त करने का अधिकार होना चाहिये।
    - इसके लिये सूचित सहमति की भी आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्ति को अपनी स्थिति, इच्छामृत्यु की प्रक्रिया और इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस पर दबाव नहीं डाला जा रहा है या उसके साथ किसी भी प्रकार का छल-कपट नहीं किया जा रहा है।
- **जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की शुचिता:** इच्छामृत्यु पर विमर्श प्रायः जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की शुचिता पर केंद्रित होता है। **जीवन की गुणवत्ता** में यह तर्क दिया जाता है कि पीड़ा को समाप्त करना और गंभीर बीमारी के दौरान अपनी गरिमा को संरक्षित करना नैतिक हो सकता है जबकि **जीवन की शुचिता या पवित्रता** अक्सर धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं को दर्शाती है जिसके तहत यह माना जाता है कि जीवन आंतरिक रूप से मूल्यवान है और इसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जाना चाहिये।
- **विधिक और सामाजिक निहितार्थ:** इच्छामृत्यु से संबंधित विधिक रूपरेखा क्षेत्राधिकार के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है, जो जीवन के अंत से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों और नैतिक विमर्शों को दर्शाती है।
    - इसके सामाजिक प्रभाव में चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा इच्छामृत्यु की मांग के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने के लिये उपशामक देखभाल तथा मनोवैज्ञानिक सहायता तक समान पहुँच की आवश्यकता से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

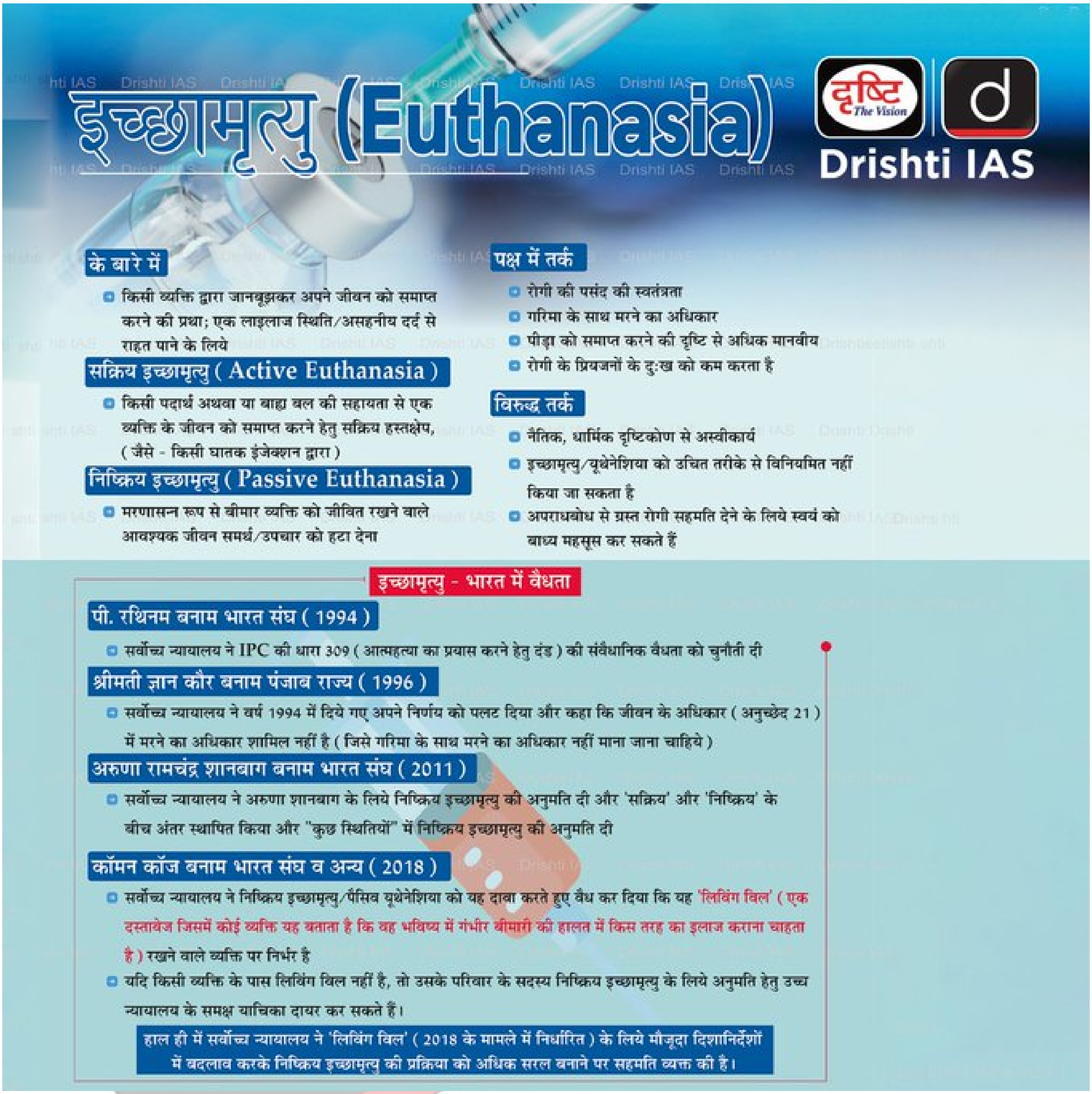

# इच्छामृत्यु (Euthanasia)

Drishti IAS

**के बारे में**

- किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करने की प्रथा; एक लाइलाज स्थिति/असहनीय दर्द से राहत पाने के लिये

**सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia)**

- किसी पदार्थ अथवा या बाह्य बल की सहायता से एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने हेतु सक्रिय हस्तक्षेप, (जैसे - किसी घातक इंजेक्शन द्वारा)

**निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)**

- मरणासन्न रूप से बीमार व्यक्ति को जीवित रखने वाले आवश्यक जीवन समर्थ/उपचार को हटा देना

**पक्ष में तर्क**

- रोगी की पसंद की स्वतंत्रता
- गरिमा के साथ मरने का अधिकार
- पीड़ा को समाप्त करने की दृष्टि से अधिक मानवीय
- रोगी के प्रियजनों के दुःख को कम करता है

**विरुद्ध तर्क**

- नैतिक, धार्मिक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य
- इच्छामृत्यु/यूथेनेशिया को उचित तरीके से विनियमित नहीं किया जा सकता है
- अपराधबोध से ग्रस्त रोगी सहमति देने के लिये स्वयं को बाध्य महसूस कर सकते हैं

**इच्छामृत्यु - भारत में वैधता**

**पी. रथिनम बनाम भारत संघ (1994)**

- सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास करने हेतु दंड) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी

**श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996)**

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1994 में दिये गए अपने निर्णय को पलट दिया और कहा कि जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) में मरने का अधिकार शामिल नहीं है (जिसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार नहीं माना जाना चाहिये)

**अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ (2011)**

- सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानबाग के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी और 'सक्रिय' और 'निष्क्रिय' के बीच अंतर स्थापित किया और "कुछ स्थितियों" में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी

**कॉमन कॉज बनाम भारत संघ व अन्य (2018)**

- सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु/पैसिव यूथेनेशिया को यह दावा करते हुए वैध कर दिया कि यह 'लिविंग विल' (एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह भविष्य में गंभीर बीमारी की हालत में किस तरह का इलाज कराना चाहता है) रखने वाले व्यक्ति पर निर्भर है
- यदि किसी व्यक्ति के पास लिविंग विल नहीं है, तो उसके परिवार के सदस्य निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिये अनुमति हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'लिविंग विल' (2018 के मामले में निर्धारित) के लिये मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव करके निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

**दृष्टि मेन्स प्रश्न:**

सक्रिय इच्छामृत्यु क्या है? इस प्रथा के नैतिक निहितार्थ क्या हैं?

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/passive-euthanasia-3